भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

456105

उत्तरांचल UTTARANCHAL

तितम्मा

इकरारी– जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0 रामनगर रोड, काशीपुर द्वारा डायरेक्टर श्री आनन्द वैश्य बहक– गुप्ता केबिल्स प्रा0 लि0 कटक–पुरी रोड, भुवनेश्वर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी।

Siddiqui
Advocate
R (U.S.Nagar)
Regn. No. UP - 2007/94

Arif S..diqui
Advocate
KASHIPUR (U.S.Nagar)
Regn. No. UP - 2007/94

निष्पादित तमस्सुक

410
16-06-2007

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
द्वारा डाइरेक्टर व आथराइज्ड
सिग्नेटरी

उप कोषागार – काशीपुर
(उधम सिंह नगर)
क्र० पं०
- 8 JUN 2007
120/-

Mukesh Kumar
Stamp Vendor
Kashipur

तमस्सुक 100/- 20/- 1000
नामा/ मु०नि० मु० प्रतिलिपि
श्री अभिलाष कमानी पुत्र श्री अशोक कुमार
पेशा व्यापार निवासी विजय नगर काशीपुर
तहसील काशीपुर ने यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक काशीपुर
जिला उधमसिंह नगर में आज दि० 18-6-07 बीच समय 4
5 बजे किया।

18-6-07

उप निबन्धक, काशीपुर।

... पत्र के आनन्द का सुन व समझ कर
उक्त श्री आनन्द वैश्य पुत्र स्व० सत्यप्रकाश
पेशा व्यापार नि० स्वामीयान काशीपुर (प्रथम पक्ष)
व श्री अभिलाष कमानी ...
बाद सुनने व समझने के निष्पादन स्वीकार किया जिसकी पहचान
श्री मो० जुबेर पुत्र श्री .... पेशा दु० लै
निवासी .... तहसील ....
व श्री मो० आरिफ पुत्र श्री .... पेशा दु०
निवासी .... तहसील काशीपुर ने की।

18-6-07

उप निबन्धक काशीपुर

18-6-07

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

456106

फरीक अव्वल का बांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

फरीक अव्वल का दांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

फरीक दोयम का बांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

फरीक दोयम का दांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

तितम्मा

स्टाम्प शुल्क 100.00रू0।

हम कि **जिन्दल होलीडेज़ प्रा0लि0 रामनगर रोड, काशीपुर द्वारा डायरेक्टर श्री आनन्द वैश्य** पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश निवासी मौहल्ला खत्रियान काशीपुर जिला उधमसिंहनगर फरीक अव्वल **व गुप्ता केबिल्स प्रा0लि0 कटक–पुरी रोड, भुवनेश्वर (उड़ीसा) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी** पुत्र श्री अशोक कुमार कमानी निवासी विजयनगर, स्टेडियम के पास, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर फरीक दोयम हैं। जो कि फरीक अव्वल ने तफसील जैल जायदाद का बैनामा फरीक दोयम के हक में किया हुआ है जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 09.04.2007 अति0 बही नं0 1 जिल्द 1504 पृष्ठ 215/220 क्रमांक 2874 पर दफ्तर रजिस्ट्री काशीपुर में हुई है। बैनामा मजकूर में तफसील जैल जायदाद की सीमाएं– पूरब में नाला व चकरास्ता, पश्चिम में सड़क 24.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2, उत्तर में प्लॉट नं0 132 ए0, दखन में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी (चक रोड सहित) नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2 की है लिखी गई है, जो कलमी गलती है, जबकि वास्तव में मौके के अनुसार तफसील जैल जायदाद की सीमाएं– पूरब में प्लॉट नं0 132 ए0, पश्चिम में सड़क 24.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2, उत्तर में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान की, दखन में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी (चक रोड सहित) नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2 की है। इसलिये दुरूस्ती होना जरूरी है। लिहाजा अब या आयन्दा बैनामा मजकूर में तफसील जैल जायदाद की सीमाएं– पूरब में प्लॉट नं0 132 ए0, पश्चिम में सड़क 24.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2, उत्तर में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान की, दखन में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी (चक रोड सहित) नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2 लिखी, पड़ी व समझी जाए। बैनामा मजकूर में तफसील जैल जायदाद के, रक्वे (क्षेत्रफल) में कोई रददो बदल नहीं है व अन्य कोई रददो बदल नहीं है। लिहाजा यह तितम्मा (शुद्धिपत्र)/अनुपूरकपत्र निष्पादित करा दिया कि सनद रहे।

तफसील जायदाद :– आराजी वर्ग 1 क संक्रमणीय भूमिधरी।

ग्राम	तहसील	खाता सं0	खसरा नं0	रक्वा हैक्टेयर
महुवखेड़ागंज	काशीपुर	174	1220 मि0	1.0366 हैक्टेयर
				(एक दशमलव शून्य तीन छः छः हैक्टेयर)

आराजी मुवैया का प्लॉट नं0 132 है, जो नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2 में स्थित है। सीमाएं– पूरब में प्लॉट नं0 132 ए0, पश्चिम में सड़क 24.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2, उत्तर में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान की, दखन में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी (चक रोड सहित) नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–2 की है।

दिनाँक 18.06.2007 ड्राफ्टेड़बाई:– मौ0 आरिफ एडवोकेट काशीपुर

M. Arif Siddiqui
Advocate
KASHIPUR (U.S.Nagar)
Regn. No. UP - 2007/94

गवाह 1. मौ0 जुबैर कातिब काशीपुर।

गवाह 2. मौ0 आरिफ एडवोकेट काशीपुर।

(3) (19) I

उद्धरण खतौनी

80030106006 ग्राम का नाम : महुआ खेड़ागंज परगना : काशीपुर

तहसील : काशीपुर जनपद : ऊधमसिंहनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1 USC/1/10/2007

खाता/ क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी:	1-क -- भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00174	कल्लूसिंह,मित्रपालसिंह	जैजैसिंह	नि0वीरपुर	पु1384फ0	1220	3.3680		1414फ0 बाद नं030/710 (06-07)आ0तह0 काशीपुर दिनांक 28.02.07 के ख0नं0 1220मि0 रकबा 3.368है0व0 83.20रू0 से कल्लू सिंह, मित्रपाल सिंह पुत्रगण जयराम नि0 ग्राम वीरपुर जि0 मुरादाबाद का नाम खारिज होकर जिन्दल होल्डिंग्स प्रा0लि0 रामनगर रोड काशीपुर द्वारा डायरेक्टर विकास जिन्दल पु0 शिवकुमार नि0 रामनगर रोड काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज हो ह0आर0के0 28.02.07 1415फ0 बाद नं030/3523(06-07) आ0ना0तह0 काशीपुर दि0 04.08.07 के ख0नं0 1220 रकबा 0.184है0व0 4.60रू0 से जिन्दल होल्डिंग्स प्रा0लि0 रामनगर रोड काशीपुर डायरेक्टर श्री आनन्द वैश्य पु0 सत्य प्रकाश नि0 मो0 खत्रियान काशीपुर का नाम खारिज होकर गाला कोवास्ट प्रा0लि0 [illegible] रोड भुवनेश्वर उड़ीसा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अभिलाष कमानी पु0अशोक कुमार कमानी नि0 [illegible] का नाम नि0मो0 विजय नगर काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज हो ह0आर0के0 05.09.07 1415फ0 बाद नं030/2430(06-07) आ0ना0तह0 काशीपुर दि0 04.08.07 के ख0नं0 1220 रकबा [illegible]036है0व0 25.60रू0 से जिन्दल होल्डिंग्स प्रा0लि0 रामनगर रोड काशीपुर डायरेक्टर श्री [illegible] नि0 मो0 [illegible] काशीपुर का नाम खारिज होकर [illegible] द्वारा [illegible] का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज हो ह0आर0के0 05.09.07	शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक कु0 वि0शा0काशीपुर के पत्र दि022/06/06 के अनुसार खातेदार मित्र पाल सिंह ने आधे हिस्से की भूमि म0 3.50,000/रू0 न कि बन्धक रखी ह0आर0के0 22/06/06 स्टे0बैंक ऑफ इण्डिया काशीपुर के पत्र दि0 26.09.07 के अनुसार खातेदार मित्रपाल सिंह द्वारा लिया गया ऋण दि0 26.09.07 को अदा कर दिया गया ह0आर0के0 01.10.07

रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील–काशीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

NOTARIAL

NOTARIAL

CANCELLED

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 675089

Before the Branch Manager Canara Bank, Bazpur Road, Kashipur, Udham Singh Nagar

AFFIDAVIT

I, *Abhilash Kamani S/o Shri Ashok Kumar, R/o Vijay Nagar, Near Stadium, Kashipur (present address : C-405-406, Ganpati Apartment, Aliganj Road, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, deponent and authorized representative of M/s Gupta Power Infrastructure Limited., Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar-751006) (Orissa)*, aged **adult**, the deponent above named do hereby solemnly affirm & state on oath as under:-

1. That *M/s Gupta Power Infrastructure Limited., Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar-751006) (Orissa) through authorized representative Shri Abhilash Kamani S/o Shri Ashok Kumar, R/o Vijay Nagar, Near Stadium, Kashipur (present address : C-405-406, Ganpati Apartment, Aliganj Road, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar has purchased the under noted land from M/s A-One Engineering Projects Pvt. Ltd., 7-Maingolane, Kolkata through authorized representative Shri Abhilash Kamani S/o Shri Ashok Kumar, R/o Vijay Nagar, Near Stadium, Kashipur* through registered sale deed dated 27.03.2010 Sr. No. 2647.
2. That the deponent has applied for loan to Canara Bank, Bazpur Road, Kashipur, Distt. U.S.Nagar, and has offered to mortgage the said land to secure such loan.
3. That there is no suit execution of any decree or any other type of proceedings is pending in any court of law over the said land.
4. That deponent has not taken any loan over the said property from any bank or society or any financial institution.
5. That the land described herein has not been mortgaged transferred or conveyed by any means whatsoever and is in full possession of deponent. There is no charge on the land.
6. That I hereby also affirm that during the continuation of the said advance I shall not alienate, mortgage, gift or sale the under noted property without prior permission of the bank.
7. That on the faith of my this declaration the bank has agreed to make the advance of loan to the above notedcompany.

DETAILS OF THE PROPERTY (As per Sale Deed dt. 27.03.2010. No. 2647)

Vill.	Tehsil	Khata No.	Khasra No.	Area in Hect.
Mahuakhera Ganj	Kashipur	174	1220	0.9795 Hect.
		362	1190	0.1816 Hect.
				1.1611 Hect.

Land situated invillage mahuakhara ganj Nand Nagar Industrial Area, Phase-II, Plot No. 132-B. Bounded as towards East Nala and Chuck rasta, towards West- Plot No. 132-A of purchaser, towards North road 18 mtr Wide (Nand Nagar Industrial Area Phase-II) and towards South-plot No. 132-C of purchaser.

Verification: - I the deponent above named do here by verify that the continents of Para No. 1 to 7 & details of the property is true to my personal knowledge & belief nothing has concealed in it. Should there any content proved false at a later date I shall be responsible for same and be punished in the court of law. So help me God, verified at Kashipur on dated ....2010.

Deponent

Verified & Authenticated by
Sri/Smt/Km.... Abhilash Kamani
This .... of ... 11 ... Yr. 10

Manju Saxena Advocate
Notary Public
Udham Singh Nagar
22/11/10

NOTARY

भारत

रु. 10 INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रमाण पत्र

09AA 307034

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10क के आधीन दिय गये कलैक्टर के आदेश दिनाँक 07.10.2005 के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत के सम्बन्ध में रूपये 8,18,500–00(रूपये आठ लाख अट्ठारह हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि का चालान संख्या 100 दिनाँक 27.03.2010 को मैसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, कटक पुरी रोड, भुबनेश्वर–751006 (उड़ीसा) [M/s Gupta Power Infrastructure Limited Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar-751006 (Orissa)] द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी / मनोज शर्मा के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में (एन0जे0 स्टाम्प की मद में) नकद संदाय किया गया है, जिसकी एक प्रति यहाँ संलग्न है।

दिनाँक– 27.03.2010

(रामस्वरूप)

Sub Treasury Officer
Kashipur (U. S. Nagar)

उप–कोषाधिकारी काशीपुर
जिला उधमसिंहनगर,
राज्य उत्तराखण्ड।

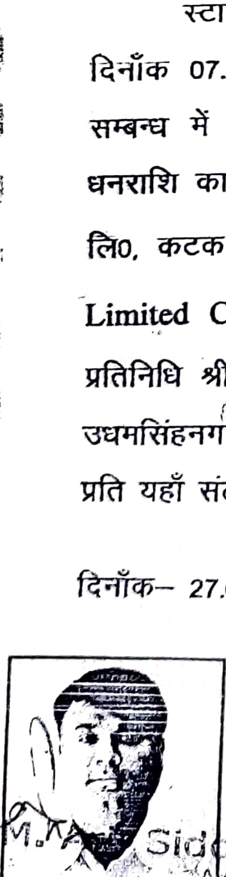

M. A. Siddiqui
Advocate
KASHIPUR (U.S. Nagar)
UK 2543/04, UP-2007/94

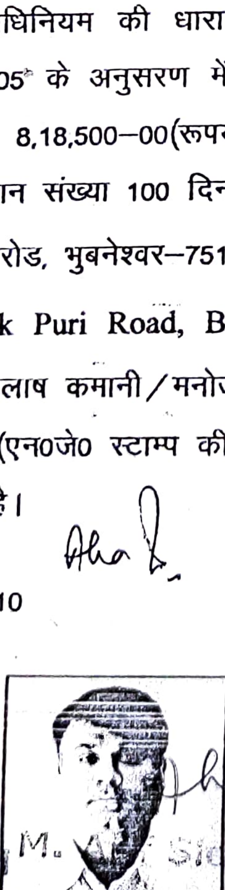

M. A. Siddiqui
Advocate
KASHIPUR (U.S. Nagar)
UK 2543/04, UP-2007/94

विक्रय पत्र(अचल सम्पती) प्रलेख सं 2,647 बही 1

विक्रय पत्र

			प्रतिफल रु0	मालियत रु0		
			13,933,200.00	9,448,452.00		
रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग		
5,000.00	10.00	80.00	5,090.00	1000		

श्री / श्रीमती / कुमारी अभिलाष कमानी(मै0 पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिं0)

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री अशोक कमानी

पेशा व्यापार

निवासी अलीगंज रोड काशीपुर

ने आज दिनांक 27/03/2010 समय 4:52 pm

को कार्यालय उपनिबन्धक काशीपुर

मे प्रस्तुत किया

उपनिबन्धक काशीपुर

अभिलाष कमानी(मै0 पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिं0)

तहरीर व तकमील दस्तावेज से व वसूलयावी प्रलेखानुसार 13,933,200.00 रु नकद / पूर्व प्राप्त कर श्री / श्रीमती अभिलाष कमानी (मै0 ए-वन इन्जियरिंग प्रो0 लि0) s/o अशोक कुमार कमानी , विजय नगर स्टेडियम काशीपुर /

ने निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री अभिलाष कमानी(मै0 पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिं0) s/o अशोक कमानी , अलीगंज रोड काशीपुर /

ने भी स्वीकार किया । जिनकी पहचान

श्री फिरोज

पुत्र श्री मौ0 शफिक

पेशा सर्विस

निवासी थानासाविक काशीपुर

व श्री मौ0 अशरफ

पुत्र श्री

पेशा कातिब

निवासी काशीपुर

ने की।

उपनिबन्धक काशीपुर

[illegible] का बांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

विक्रेता का दांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

क्रेता का बांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

क्रेता का दांया हाथ

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

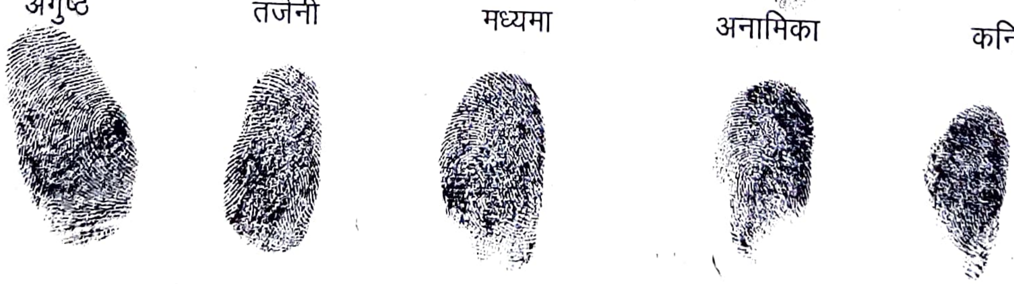

Book No. 1 Registration Year 2010 Registration No 2,647

Abhal	Abhal	फिरोज	M. A.
अभिलाष कमानी (मै0 ए-वन इन्जियरिंग प्रो0 लि0)	अभिलाष कमानी(मै0 पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिं0)	फिरोज	मौ0 अशरफ

उपरोक्त साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं ।

उपनिबन्धक काशीपुर

— आराजी वर्ग 1 क संक्रमणीय भूमिधरी।

	तहसील	खाता सं0	खसरा नं0	रक्बा हैक्टेयर
...गंज	काशीपुर	174	1220	0.9795 हैक्टेयर
		362	1190	0.1816 हैक्टेयर
				1.1611 हैक्टेयर

(एक दशमलव एक छः एक एक हैक्टेयर)

विक्रीत आराजी नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस–II का प्लॉट नं 132 बी है। आराजी मुवैया की सीमाएं– पूरब में नाला व चकरास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं0 132 ए क्रेता, उत्तर में सड़क 18.00 मीटर चौड़ी (नन्दनगर औद्योगिक आस्थान फेस II), दखन में प्लॉट नं0 132 सी क्रेता। आराजी मुवैया औद्योगिक विकास विभाग उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 316/औ0वि0/07उद्योग/2006–07 दिनांक 06.11.2006 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित है। आराजी मुवैया न्यायालय सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी/उप–जिलाधिकारी काशीपुर के राजस्व वाद सं0 22/217 (2006–07) दिनांक 18.06.2007 तथा वाद सं0 22/219 (2006–07) दिनांक 18.06.2007 के अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक/औद्योगिक घोषित की गई है। आराजी मुवैया विक्रेता की जरिये बैनामा दिनांक 25.06.2007 क्रमांक 5004 खरीदशुदा है। विक्रीत आराजी नगरपंचायत महुवाखेड़ागंज तहसील काशीपुर में व औद्योगिक आस्थान में होने के कारण आराजी मुवैया पर उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 29 वर्ष 2003/2007 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। पक्षकारों ने एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर ली है तथा विक्रीत सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश निर्गत नही हैं। विक्रेता का पेन नं0 AAGCA6039E है व क्रेता का पेन नं0 AAACG9210B है।

पक्षकारों के कथन एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर आलेख दि0 27.03.2010
मौ0 आरिफ एडवोकेट काशीपुर द्वारा तैयार किया गया।

Ala

Ala

M. Arif Siddiqui
Advocate
KASHIPUR (U.S. Nagar)
UK 2543/04, UP-2007/94

गवाह 1. मनोज शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी सी–110, गणपति आपर्टमेन्ट, अलीगंज रोड, काशीपुर।

MSharma

गवाह 2. मौ0 आरिफ एडवोकेट काशीपुर।

...39,33,200.00रूपये, मा0 04,48,452.00रूपये।
...दर सीमा नगरपंचायत महुवाखेड़ागंज, दर सूची दिनांक 01.11.2009 के पृष्ठ 105
...2-2, निर्धारित दर 81,37,500.00रूपये प्रति हैक्टेयर, औद्योगिक भूमि, तहसील से
...8 कि0मी0 दूर, ग्राम महुवाखेड़ागंज तहसील काशीपुर, खसरा नं0 1220 रक्बई 0.9795
...यर, खसरा नं0 1190 रक्बई 0.1816 हैक्टेयर कुल रक्बई 1.1611 हैक्टेयर, क्रेता कम्पनी।
...स्टाम्प शुल्क 8,18,500.00रूपये।

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9, आदेश संख्या (74) XXVII(9)/स्टाम्प/2008 दिनाँक 25.04.2008 के द्वारा स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत एवं सर्किल रेट से अधिक दर पर अन्तरण किये जाने की दशा में सर्किल रेट से अधिक मूल्य से 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान है।

हम कि मैसर्स ए-वन इन्जिनियरिंग प्रोजेक्टस प्रा0लि0 7-मेन्गो लेन, कोलकाता-700001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अभिलाष कमानी पुत्र श्री अशोक कुमार कमानी निवासी विजय नगर, निकट स्टेडियम काशीपुर हाल निवासी सी-405, 406 गणपती आपर्टमेन्ट, अलीगंज रोड, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर फरीक अव्वल (विक्रेता) व मैसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, कटक पुरी रोड, भुबनेश्वर-751006 (उड़ीसा) **[M/s Gupta Power Infrastructure Limited Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar-751006 (Orissa)]** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी पुत्र श्री अशोक कुमार कमानी निवासी विजय नगर, निकट स्टेडियम काशीपुर हाल निवासी सी-405, 406 गणपती आपर्टमेन्ट, अलीगंज रोड, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर फरीक दोयम (क्रेता) हैं। जो कि तफसील जैल जायदाद फरीक अव्वल की है। जो इस दम तक हर तरह से पाक व साफ है और फरीक अव्वल को तफसील जैल जायदाद को हर तरह से मुन्तकिल करने का हक हासिल है तथा विक्रेता कम्पनी उपरोक्त ने तफसील जैल जायदाद का बैनामा करने हेतु दिनांक 25.03.2010 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रास्ताव पारित कर विक्रेता कम्पनी उपरोक्त के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अभिलाष कमानी को अधिकृत किया है तथा क्रेता कम्पनी उपरोक्त ने तफसील जैल जायदाद का बैनामा कराने हेतु दिनांक 12.02.2007 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रास्ताव पारित कर क्रेता कम्पनी उपरोक्त के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी को अधिकृत किया है। लिहाजा बहालत सेहत नफ्स मय तमामी हक हकूक बिला इस्तसनाये किसी हक व शै के बकीमत मुबलिग 1,39,33,200.00रूपये (एक करोड़ उनतालीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रूपये) निस्फ जिसके 69,66,600.00रूपये (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ रूपये) होते है में तफसील जैल जायदाद को बदस्त फरीक दोयम मैसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, कटक पुरी रोड, भुबनेश्वर-751006 (उड़ीसा) **[M/s Gupta Power Infrastructure Limited Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar-751006 (Orissa)]** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिलाष कमानी उक्त को फरीक अव्वल ने बै कतई कर दी और कुल जरे समन हस्ब जैल तरीके पर वसूल पा लिये और कब्जा फरीक अव्वल ने तफसील जैल जायदाद पर से हटाकर कब्जा मालिकाना मिस्ल फरीक दोयम का करा दिया है चुनांचे तकावजुल बदलैन उसका अमल में आया, अब फरीक अव्वल या फरीक अव्वल के किसी वारिस वगैराह का कोई हक व दावा तफसील जैल जायदाद में बाकी नही रहा, अब फरीक दोयम को हक है कि तफसील जैल जायदाद का दाखिल खारिज अपने नाम पर करा ले। अब या आइन्दा निस्बत तफसील जैल जायदाद कोई शख्स किसी तरह पर दावेदार होगा और तफसील जैल जायदाद का कुल या जुज कब्जे फरीक दोयम से निकल जायेगा या दाखिल खारिज में कोई दिक्कत पेश आयेगी तो उसकी जुमला जिम्मेदारी वापसी जरे समन मय हर्जा व खर्चा फरीक अव्वल व उनके वारिसान की होगी। विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य नहीं है। लिहाजा यह बैनामा निष्पादित कर दिया कि सनद रहे। कुल खर्चा रजिस्ट्री बैनामा जिम्मे फरीक दोयम है।

तफसील वसूली जरे समन :- कुल जरे समन जरिये चैक नं0 562736 दिनांक 26.03.2010 AXIS Bank Bhubaneshwar वसूल पा लिये हैं।

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तिथि Date on Which application is made for copy accompanied by the requisity stamp	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की ता० .... Date of Posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की ता० .... Date of Delivery of Copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के ह० Signature of officer delivreing Copy

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर / राजस्व वाद संख्या 29/217 - वर्ष 2006-2007

प्रार्थी / वादी मै० जिन्दल होल्डिंग्स प्रा० लि० द्वारा / डायरेक्टर श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व० श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर

बनाम

प्रतिवादी राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा-143 उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार उपांतरण एवं अनुकूलन, अधिनियम - 2001)

नकल आदेश दिनांक 18.06.2007 सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।

20/06/07

न्यायालय कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर।

पत्रावली 22 / 217 वर्ष 2006—2007

मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड ,काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर ।

बनाम

प्रतिवादी— , राज्य सरकार ।

....

अर्न्तगत धारा—143उत्तराखण्ड(उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार)उपांतरण एवं अनुकूलन)अधिनियम—2001

निर्णय / प्रख्यापन

प्रस्तुत कार्यवाही प्रार्थी / वादी मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड ,काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के प्रार्थना—पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी ।

प्रार्थना—पत्र में उल्लिखित है कि ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रू0 भूमि वर्ग—1(क)संक्रमणीय भूमिधरी की श्रेणी की है। प्रार्थी ने उपरोक्त आराजी को सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में घोषित कराया है । उपरोक्त भूमि में खेती नही हो रही है तथा औद्योगिक प्रयोजन में लाई जा रही है और उपरोक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु खरीद लिया गया है और भविष्य में भी प्रार्थी उपरोक्त आराजी में खेती नही करेगें और औद्योगिक प्रयोजन में ही लायेगें । प्रार्थी ने अन्त में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण एवं अनुशीलन किया ।

वादी श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड काशीपुर तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर ने अपने मुख्य कथन में कहा है कि ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रूपया भूमि वर्ग—1(क)संक्रमणीय भूमिधरी की श्रेणी की है। प्रश्नगत भूमि पर खेती नही हो रही है बल्कि मौके पर भवन निर्माण हेतु मिटटी भरान व सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक भवन का निर्माण किया जाना है।

ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रूपया भूमि मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विकास जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिवकुमार जिन्दल के नाम वर्ग—1(क)संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। जिसे प्रार्थी अकृषिक घोषित करवाना चाह रहा है।

(V)

...दार काशीपुर से आख्या प्राप्त की गई । जिसमें उनके द्वारा अकृषिक हेतु भूमि के सम्बंध में अपनी आख्या से अवगत कराया है कि ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रूपया भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में प्रार्थी/वादी मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विकास जिन्दलपुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल, के नाम दर्ज कागजात है,पर स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर कृषि के उपयोग में नही लायी जा रही है।प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौके पर भवन बना है। प्रश्नगत भूमि उद्यानीकरण /बागवानी/पशुपालन/मत्स्यपालन/कुक्कडपालन के उपयोग में नही आ रही है। तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि अकृषिक घोषित किये जाने जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

उपरोक्त विवेचना से मैं इस अभिमत का हूँ कि ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के ,खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रूपया भूमि को कृषि प्रयोग हेतु प्रयोग न होने से अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 174के खसरा नम्बर 1220रकवा 3.368हैक्टेयर लगानी 83.20रूपया भूमि को जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा–143के तहत अकृषिक भूमि दर्ज किया जाय। इसी अनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली माल अभिलेखागार को संचित की जाय।

दिनांक 18जून,2007

(बी0वी0आर0पुरूषोत्तम)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, काशीपुर ।

मेरे श्रुतलेख से टंकित करने के उपरान्त उपरोक्त निर्णयादेश आज दिनांक 18 जून,2007को स्वहस्ताक्षरित ,दिनांकित एवं मुद्रांकित करने के उपरान्त खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

स्थान– काशीपुर ।
दिनांक 18 जून,2007

(बी0वी0आर0पुरूषोत्तम)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, काशीपुर ।

आवेदक–
निरीक्षक–
... की संख्या– 250215
... की तिथि 19.06.07
... की तिथि– 19.06.07
... की तिथि– 20.06.07

सत्य प्रतिलिपि
20.06.07
न्यायालय प्रतिलिपिकारी
परगना मजिस्ट्रेट, काशीपुर

Rs 13=00
CF 5

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक Date on Which application is made for copy accompanied by the requisity stamp	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की ता० .... Date of Posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की ता० .... Date of Delivery of Copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के ह० Signature of officer delivreing Copy

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर / राजस्व वाद संख्या 22/217 वर्ष 2006 2007 प्रार्थी / वादी मै० जिवका होलीडेज प्रा० लि० द्वारा / डायरेक्टर श्री विजय कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर

बनाम

प्रतिवादी राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा-143 उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अनुकूलन एवं उपान्तरण) अधिनियम – 2001

नकल आदेश दिनांक 18/06/2007 मय ... है।

20/06

न्यायालय [illegible] काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर।

वर्ष 2006-2007

वादी मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड ,काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर।

बनाम

प्रतिवादी : राज्य सरकार।

....

अन्तर्गत धारा-143उत्तरांचल(उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार)उपांतरण एवं अनुकूलन)अधिनियम-2001

निर्णय /प्रख्यापन

प्रस्तुत कार्यवाही प्रार्थी/वादी मै0जिन्दल होलीडेज प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री-विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड ,काशीपुर जिला-ऊधम सिंह नगर के प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी।-

प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित है कि ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला-ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 362के खसरा नम्बर 1190रकबा 0.971हैक्टेयर भूमि का-वादी /प्रार्थी ,वर्ग-1(क)संक्रमणीय भूमिधरी की श्रेणी का भूमिधर है। प्रार्थी ने उपरोक्त आराजी-को सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में घोषित कराया है । उपरोक्त भूमि में खेती नही हो रही है-तथा औद्योगिक प्रयोजन में लाई जा रही है और उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा औद्योगिक-प्रयोजन हेतु खरीद लिया गया है और भविष्य में भी प्रार्थी उपरोक्त आराजी में खेती नही करेगें-और औद्योगिक प्रयोजन में ही लायेगें ।प्रार्थी ने अन्त में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कराने-हेतु प्रार्थना की है।—

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण एवं-अनुशीलन किया ।—

वादी श्री विजय कुमार जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर-रोड काशीपुर तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर ने अपने मुख्य कथन में कहा है कि ग्राम-महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 362के खसरा-नम्बर 1190रकबा 0.971हैक्टेयर लगानी 24.00रूपया भूमि वर्ग-1(क)संक्रमणीय भूमिधरी की है ।-प्रश्नगत भूमि पर खेती नही हो रही है बल्कि मौके पर भवन निर्माण हेतु मिटटी भरान व सडक-का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि पर औद्योगिक भवन का निर्माण किया जाना है। -

ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी-संख्या 362के खसरा नम्बर 1190रकबा 0.971हैक्टेयर लगानी 24.00रू.भूमि मै0जिन्दल होलीडेज-प्रा0लि0द्वारा डायरेक्टर श्री विकास जिन्दल पुत्र स्व0श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड-,काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के नाम वर्ग-1(क)संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। जिसे-प्रार्थी अकृषिक घोषित करवाना चाह रहा है।—

तहसीलदार काशीपुर से आख्या प्राप्त की गई । जिसमें उनके द्वारा अकृषिक हेतु-प्रस्तावित भूमि के सम्बंध में अपनी आख्या से अवगत कराया है कि ग्राम महुआखेडागज तहसील-काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 362खसरा नम्बर 1190रकबा 0.971है0 -

तहसीलदार काशीपुर

उ०भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में प्रार्थी / वादी मै०जिन्दल होलीडेज प्रा०लि०द्वारा [illegible] श्री विकास जिन्दल पुत्र स्व०श्री शिव कुमार जिन्दल निवासी रामनगर रोड-,काशीपुर ,जिला ऊधम सिंह नगर के नाम दर्ज कागजात है,पर स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर कृषि के उपयोग में नही लायी जा रही है ।प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौके पर भवन बना है। प्रश्नगत भूमि उद्यानीकरण / बागवानी / पशुपालन / मत्स्यपालन / कुक्कडपालन के उपयोग में नही आ रही है। तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि अकृषिक घोषित किये जाने जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

उपरोक्त विवेचना से मैं इस अभिमत का हूँ कि ग्राम महुआखेडागंज, तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के ,खाता खतौनी संख्या 362के खसरा नम्बर 1190 रकवा 0.971हैक्टेयर लगानी 24.00रू०भूमि को कृषि प्रयोग हेतु प्रयोग न होने से अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम महुआखेडागंज तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के खाता खतौनी संख्या 362के खसरा नम्बर 1190 रकवा 0.971हैक्टेयर लगानी 24.00रू०भूमि को जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा–143के तहत अकृषिक भूमि दर्ज किया जाय। इसी अनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली माल अभिलेखागार को संचित की जाय।

दिनांक 18 जून,2007

(बी०वी०आर०पुरूषोत्तम)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी /
उप जिलाधिकारी, काशीपुर ।

मेरे श्रुतलेख से टंकित करने के उपरान्त उपरोक्त निर्णयादेश आज दिनांक 18जून,2007को स्वहस्ताक्षरित ,दिनांकित एवं मुद्रांकित करने के उपरान्त खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

स्थान– काशीपुर ।
दिनांक 18जून,2007

(बी०वी०आर०पुरूषोत्तम)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी /
उप जिलाधिकारी, काशीपुर ।

[illegible]— [illegible]
[illegible]— [illegible]
[illegible]— 200195
[illegible] 19.06.2007
सूचना-पत्र की तिथि— 19.06.2007
[illegible] की तिथि— 20/06/2007
[illegible]

[illegible]
20/06/2007
न्यायालय परगनाधिकारी/
परगना मजिस्ट्रेट, काशीपुर